


15.07.19

रीडर

वकील कपी लाउट 34.। बस वकील कपी लाशी
रुनी गई। बस पर मजन किया गया। पत्रावली का
कव लोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न नामक
तहसीलदार तलाक़ा की रिपोर्ट अनुसार कपी लाशी ने
खं. नं. 132 रकवा 0.02 हे. ~~में~~ किसम गै. मु. बास्ता
खं. नं. 363 रकवा 0.03 हे. किसम गै. मु. बादा
काठे ग्राम मन्दपुरा से कृषिकर्तव्य रूप लिया है एवं
वर्तमान में बास्ता खाल है अतः कपी लाशी की
कपील पर सक्षम प्रतिपूर्ति किया करते हुए कपील
करीब की जाकर न्यायालय नागव तहसीलदार,
तलाक़ा द्वारा पारित कांदेश को सजा की हफ़्तक
निरस्त रिया जाता है, शेष निर्णय अथावत रहेगा।
पत्रावली के संलक्षुमार होकर नंबर से
कम हो एवं बाद तहसील जमा जिला अफ़िल मागा
ले। कक्षानस्थ न्यायालय की कले पत्रावली एक
कांदेश की पुमाणित प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।


अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (संभा०)